राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–6468/2022

श्रीमति श्यामा मीणा (कर्मचारी आई.डी.– आरजेजेएल201821040477)

–अपीलार्थी

बनाम

प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 21.12.2022
आदेश की दिनांक : 12.01.2023

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुधीर गुप्ता, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवडा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थीया अध्यापक लेवल–।। के पद पर रा.उ.मा.वि. बांसला ब्लॉक अटरू जिला बांरा में कार्यरत है। उनका तर्क है कि अपीलार्थीया की नियुक्ति अध्यापक के पद पर एल–2 के पद पर हुई थी, परंतु उस समय उक्त ब्लॉक में एल–2 का पद नहीं होने के कारण प्रार्थिया को पद विरूद्ध एल–1 के पद पर पदस्थापित किया वर्तमान में रा.उ. प्रा.वि. बंटावदापार (499859) एल–2 हिन्दी का पद रिक्त है तथा अपीलार्थीया हिन्दी की अध्यापिका है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी ने उक्त तथ्य अंकित करते हुए एक अभ्यावेदन दिनांक 20.04.2022 को जिला शिक्षा अधिकारी, बांरा को प्रेषित किया था, जिसमें उसने निवेदन किया था कि अपीलार्थीया को उसकी योग्यता के आधार पर एल–2 हिन्दी के रिक्त पद पर रा.उ.मा.वि. बंटावदापार (499859) पर नियुक्ति करने के आदेश प्रदान करें। परंतु उसके अभ्यावेदन पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है।
3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के

समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 4 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 6 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवडा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)